

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक  
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,  
लखनऊ।

**कृषि अनुभाग-5**

**लखनऊ:: दिनांक:: 04 फरवरी, 2019**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजनान्तर्गत पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-गु०नि०/1063/पुनर्विनियोग/2018-19, दिनांक 28.12.2018 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 09-विद्युत देय में रू० 2.00 लाख, 10-जलकर में रू० 1.40 लाख, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान में रू० 8.97 लाख, 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व में रू० 22.06 लाख एवं 29-अनुरक्षण में रू० 1.50 लाख अर्थात् कुल रू० 35.93 लाख (रू० पैंतीस लाख तिरानवे हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी और न ही देयता सृजित की जायेगी।

4- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ता तथा लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीटनाशी अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला की स्थापना योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ता में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 09-विद्युत देय, 10-जलकर, 16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व, 29-अनुरक्षण आदि पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

**संलग्नक-यथोक्त।**

भवदीय,  
वीरेन्द्र कुमार  
अनु सचिव।

**संख्या-4/2019/1713(1)/12-5-2018, तददिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
5. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण), अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
7. गार्ड फाइल।

**संलग्नक-यथोक्त।**

आज्ञा से,  
वीरेन्द्र कुमार  
अनु सचिव।